404

बिहार सरकार,
खाद्य, आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग ।

अधिसूचना- 11

जी. एस. आर. ______________/ आ. वा. पटना-15, दिनांक-

भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के आदेश स0 का0 नि0-518 (अ) दिनांक-5.6.2000 द्वारा प्रकाशित नाप्था (अर्जन, विक्रय भंडारण और औटो मोबाइल में उपयोग का निवारण आदेश 2000) शुद्धि पत्र सहित) की धारा-3 एवं 4 सपठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम 10) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं भारत सरकार की पूर्व सहमति से बिहार के राज्यपाल बिहार सरकार के जिला पदाधिकारियों को अपने अधिकारिता के अधीन " "अनुज्ञापन प्राधिकारी" प्राधिकृत ~~सथ~~ बिहार सरकार के निम्नलिखित पदाधिकारियों को अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार के अधीन "नाप्था" के स्थान या परिसर में प्रवेश, तलाशी एवं अधिग्रहण करने की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु तुरत के प्रभाव से प्राधिकृत करते है :-

1- अनुज्ञापन प्राधिकारी
2- आयुक्त एवं सचिव/ सचिव, खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार, पटना
3- आरक्षी उप-महानिरीक्षक (आर्थिक अपराध), बिहार, पटना ।
4- जिला पदाधिकारी
5- अनुमण्डल पदाधिकारी
6- विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी
7- आरक्षी अधीक्षक/आरक्षी अधीक्षक (खाद्य)
8- उप निदेशक, खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति
9- आरक्षी उपाधीक्षक / आरक्षी उपाधीक्षक (खाद्य)
10-खाद्यायुक्त के सचिव, खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार, पटना ।
11-जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी
12-सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी
13-उप अनुभाजन पदाधिकारी, पटना ।
14- सहायक अनुभाजन पदाधिकारी, पटना ।
15- प्रभारी दण्डाधिकारी, उड़नदस्ता, खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार, पटना।

16- पणन पदाधिकारी

17- प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी ।

(पृ.4 ब. 1-01/2000)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/- 13/11/2002

सरकार के उप सचिव ।

जी. एस. आर. 4527 / जी. एस. आर.- 13 दिनांक-

का अंग्रेजी में संलग्नित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

ह०/- 13/11/2002

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक पृ.4.ब.1-01/2000 4527 / आ.वा. पटना-15 दिनांक 13 नवम्बर, 2002

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार गुलजारबाग (पटना) को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

उनसे अनुरोध है कि हिन्दी एवं अंग्रेजी अधिसूचना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर गजट की छः सौ प्रतियाँ यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

ह०/- 13/11/2002

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक- 4527 / आ.वा. पटना-15, दिनांक 13 नवम्बर, 2002

प्रतिलिपि:- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी-VI, खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- 13/11/2002

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक- 4527 / आ.वा. पटना-15, दिनांक 13 नवम्बर, 2002

प्रतिलिपि:- भारत सरकार के उप सचिव पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली को अनुलग्नक सहित सूचना एवं स्वीकारार्थ प्रेषित ।

ह०/- 13/11/2002

सरकार के उप सचिव ।

(406)

Government of Bihar,
Food, Supply & Commerce Department.

NOTIFICATION

G.S.R. ________________ Dated ________________ In excercise of the powers conferred under section 3 & 4 of The Naptha (Acquisition, Ssle Storage & Prevention of use in Authomobile) Order,2000 (With Corrigendum) published by the Government of India Ministry of Pertroleum and Natural Gas Vide Order No. G.S.R-518 (E) dated-5.6.2000 read with under section-3 of the Essential Commodities Act 1955 (10 of 1955) and with prior Concurrence of the Government of India, the Governor of Bihar is pleased to authorise District Officers of Bihar Government as 'Licencing Authority' under their Jurisdiction and the following Officers of the Bihar Government to excercise the powers of entry, search and seizure of place or premises of the Naptha within the local area of their juridication.

1. Licencing Authority
2. Commissioner & Secretary, Food, Supply & Commerce Department, Bihar, Patna.
3. Deputy Inspector Gerneral of Police (Economic Offences)Bihar Patna.
4. District Officer
5. Sub Divisional Officer
6. Special Officer, Rationing, Patna.
7. Suprintendent of Police/Suprintendent of Polic (Food)
8. Deputy Director, Food & Civil Supply

9. Deputy Suprintent of Police/Deputy Suprintent of Police (Food)

10. Secretary to Food Commissioner, Food, Supply & Commerce Department, Bihar, Patna.

11. District Supply Officer,

12. Assistant District Supply Officer

13. Deputy Rationing Officer, Patna

14. Assistant Rationing Officer, Patna.

15. Magistrate, incharge flying squad, Food, Supply & Commerce Department, Bihar, Patna.

16. Marketing Officer

17. Block Supply Officer.

(Pra-4-B 1-01/2000)
By Order of Governor of Bihar

Dy. Secretary to the Govt.

No.P-11021/3/2003-Dist. MOST IMMEDIATE

Government of India

Ministry of Petroleum & Natural Gas

******

Shastri Bhawan,
New Delhi, the 26th Dec., 2002

To,

1. The Chief Secretaries/
   Administrators of all States/
   Union Territories
2. Director General
   Anti Adulteration Cell
   New Delhi
3. Executive Director
   PPAC
   New Delhi.
4. Director (Mkt)
   IOCL/HPCL/BPCL/I.B.P.Co.Ltd.
   Mumbai

Subject:- Control Order regarding exempting Naphtha from obtaining import License under Petroleum Rules, 2002

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of Order regarding exempting Naphtha from obtaining import license under Petroleum Rules, 2002 published vide GSR No. 784(E) in the Gazette of India extra-ordinary dated 29th November, 2002 for information and record.

Yours faithfully,

Sd/-

(S.L. Vashishta)

Under Secretary to the Govt. of India
Tele-23386407

बिहार सरकार,

खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग ।

ज्ञापांक- 58 आ.वा. पटना-15, दिनांक 30 जनवरी, 2003

प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी को अनुलग्नक सहित सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

सरकार के उप सचिव ।

409

राजिस्ट्री सं0 डी0 एल0-33004/99

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II-खण्ड 3- उप-खण्ड (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं0 537 नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 29, 2002/अग्रहायण 8, 1924

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2002

सा.का.नि. 784 (अ)- पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) की धारा 12 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा नापथा को पेट्रोलियम नियम, 2002 के अध्याय II के भाग II के नियम 19 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन आयात अनुज्ञप्ति प्राप्त करने से छूट देती है।

(फा.सं. पी-11021/3/2002- वितरण)

एस0 विजयराघवन, संयुक्त सचिव।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(बिहार राज्य कार्यालय)
तीसरी मंजील, मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, डाक बंगला रोड
पटना - 800 001
Indian Oil Corporation Limited
(Bihar State Office)
3rd Floor, Maurya Lok Complex,
Dak Bunglow Road, Patna - 800 001
Ph.: 222159, 234754, 236724, 236781
Fax No.: 236674

Marketing Division

S.O.6

Ref. : BSO/S/104
Date: 28.08.2000

Shri S. K. Choudhary, IAS
Secretary, Food, Supply & Commerce Department,
Govt. of Bihar,
Patna.

Sub : Gazette Notifications –

1) **Naphtha (Acquisition, Sale, Storage and prevention of use in Automobiles) Order**
2) **Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition, Sales, Storage and Prevention of use in Automobiles) Order, 2000.**

Dear Sir,

Further to our letter of even no. dt. 20.06.2000 forwarding you subject Gazette Notification Nos. 317 & 318 both dt. 05.06.00 of Ministry of Petroleum & Natural Gas (MOP &NG), Govt. of India, we are enclosing herewith a copy of corrigendum Gazette Notification No. 358 of MOP & NG giving separately the **formats of application** for issuance of licence by the State Govt. of Bihar to the users of Solvents etc. and Naphtha.

The same notification also gives separately the **formats of licence** to be issued by the State Govt. to users of Naphtha and Solvents etc.. Two additional copies of the notification are also enclosed.

Thanking You.

Yours faithfully,

(D. P. Vaed) 28/08/00
SLC, BIHAR-CUM-DGM, IOC

रजिस्ट्री सं० डी० एल०–33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 358] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 2000/आषाढ़ 9, 1922
No. 358] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2000/ASADHA 9, 1922

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 30 जून, 2000

सा. का. नि. 576(अ).— विलायक, रैफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल्स में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 की बाबत, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आदेश सं. पी-11013/4/98-वि. तारीख 5 जून, 2000 में जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड(i) में उसी तारीख में सा. का. नि. 519(अ), द्वारा प्रकाशित किया गया था :

(i) खंड 2 के उपखंड (च) में "मोटर स्पीरिट और/या उच्च गति डीजल" शब्दों के स्थान पर "मोटर स्पीरिट और उच्च गति डीजल" शब्द पढ़ें;

(ii) खंड 3 में उपखंड (4) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (5) पढ़ें :—

"(5) केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, आवेदन करने के लिए अपेक्षित प्ररूप और उस फारमेट को, जिसमें उपखंड (1) के अधीन अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी, अधिसूचित कर सकेगी और ऐसे मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर सकेगी, जो आदेश के इस उपबंध को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हों"।

[फाइल सं. पी. 11013/4/98-वि.]

शिवराज सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th June, 2000

G.S.R. 576 (E).—In the English version of the Order No. P-11013/4/98-Dist. dated, the 5th June, 2000 of the Ministry of Petroleum and Natural Gas published through G.S.R. 519(E), in Part II, Section 3, Sub-Section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, of the same date regarding the Solvent, Raffinate and Slop

(Acquisition, Sale, Storage and Prevention of use in Automobiles) Or 2000:

(i) line 9, for "use" read "Use" ;

(ii) line 30, for "and or" read "or" ;

(iii) line 31, for "and, or" read "and" ;

(iv) in clause 3, after sub-clause (4), read

"(5) The Central Government may, by order, notify the form required for making application and the format in which licence shall be issued under sub-clause (1), and issue guidelines as may be necessary for giving effect to the provisions of this Order." ;

(v) in clause 6, for "of a State" read "or a State".

[File No. P-11013/4/98-Dist.]

SHIVRAJ SINGH, Jt. Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 30 जून, 2000

सा. का. नि. 577(अ).— नाफ्था (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल्स में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 की बाबत, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आदेश सं. पी-11013/1/2000-वि. तारीख 5 जून, 2000 के हिन्दी पाठ में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में उसी तारीख में सा. का. नि. 518(अ), द्वारा प्रकाशित किया गया था :

(i) खंड 3 के उपखंड (v) के पश्चात् निम्नलिखित खंड पढ़ें :

"(vi) केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, आवेदन करने के लिए अपेक्षित प्ररूप और उस फारमेट को , जिसमें उपखंड (i) के अधीन अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी, अधिसूचित कर सकेगी और ऐसे मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर सकेगी, जो आदेश के इस उपबंध को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हों"।

(ii) खंड 4 के उपखंड (2) में "खंड 1 (च) के अधीन" शब्दों, अंक, अक्षर और कोष्ठक के स्थान पर "खंड 1 के उपखंड (च) के अधीन" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक पढ़ें।

[फाइल सं. पी. 11013/1/2000-वि.]

शिवराज सिंह, संयुक्त सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th June, 2000

G.S.R. 577 (E).—In the English version of the Order No. P-11013/1/2000-Dist. dated, the 5th June, 2000 of the Ministry of Petroleum and Natural Gas published through G.S.R. 518(E) in Part II, Section 3, Sub-Section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, of the same date regarding the Naphtha (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of use in Automobile) Order, 2000 :

(i) line 7, for "called The" read "called the" ;

(ii) line 8, for "use" read "Use" ;

(iii) line 9, for "Automobile", read " Automobiles";

(iv) in clause 3, after sub-clause (v), read

"(vi) The Central Government may, by order, notify the form required for making application and the format in which licence shall be issued under sub-clause (i); and issue guidelines as may be necessary for giving effect to this provisions of the Order." ;

(v)" in clause 4, in sub-clause (2), for "clause 1(d)", read "sub-clause (d) of clause (1)," ;

(vi) in clause 7, for " order may be" read "order made by".

[File No. P-11013/1/2000-Dist.]

SHIVRAJ SINGH, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 30 जून, 2000

सा. का. नि. 578(अ).—केन्द्रीय सरकार विलायक, रैफिनेट और स्लॉप (अर्जन, भंडारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 के खंड 3 के उपखंड (1) और उपखंड (5) के अनुसरण में, वह प्ररूप जिसमें उक्त आदेश के अधीन विलायक, रैफिनेट और स्लॉप अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए आवेदन किया जाएगा और वह फारमेट जिसमें राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी, अर्थात् :—

आवेदन प्ररूप

(विलायक, रैफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 के खंड 3 के उपखंड (1) के अधीन विलायक, रैफिनेट और स्लॉप की अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए)

सेवा में,

राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

1. आवेदक का नाम————

2. फर्म का प्रकार (जो लागू न हो उसे काट दें)

2क. पब्लिक लिमिटेड कंपनी/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/भागीदारी फर्म/स्वत्वधारी फर्म/अन्य

2ख. व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता/उपभोक्ता/अन्य

3. पता

(414)

3क. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ....

3ख. भंडारण स्थल ....

4. निदेशकों (भागीदारों) स्वत्वधारियों का नाम, पता, टेलीफोन नं.

क्रम	नाम	कार्यालय		निवास	
संख्या		पता	टेलीफोन	पता	टेलीफोन

5. उद्योग रजिस्ट्रीकरण/अनुज्ञप्ति का ब्यौरा

रजिस्ट्रीकरण/ अनुज्ञप्ति संख्या	जारी करने की तारीख	निम्नलिखित तक विधिमान्य	जारी करने वाला प्राधिकारी

6. विक्रय-कर रजिस्ट्रीकरण का ब्यौरा

6क. राज्य विक्रय-कर

रजिस्ट्रीकरण/ अनुज्ञप्ति संख्या	जारी करने की तारीख	निम्नलिखित तक विधिमान्य	जारी करने वाला प्राधिकारी

6ख. केन्द्रीय विक्रय-कर

रजिस्ट्रीकरण/ संख्या	जारी करने की तारीख	निम्नलिखित तक विधिमान्य	जारी करने वाला प्राधिकारी

7. विस्फोटकों की अनुज्ञप्ति का ब्यौरा

अनुज्ञप्ति संख्या	जारी करने की तारीख	निम्नलिखित तक विधिमान्य	अनुज्ञप्त भंडारण क्षमता (किलोलीटर में)

8. भंडारण का ब्यौरा

अवस्थान	विलायक, रेफिनेट और स्लॉप	टैंक संख्या	क्षमता (किलोलीटर में)

9. उस विलायक (रेफिनेट) स्लॉप का, जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, उपयोग

1. ....

2. ....

3. ....

... .

... .

10क. ऐसे विलायक (रेफिनेट) स्लॉप की मात्रा जिसके लिए निम्नलिखित हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया गया है

विलायक	रेफिनेट	स्लॉप	किलोलीटर में परिमाण

10ख. वह अधिशेष सामग्री, जिसके लिए विलायक (रेफिनेट स्लॉप अपेक्षित है) हैं

1. प्रसंस्करण .... (ब्यौरा दें)
2. खप गई विलायक (रेफिनेट) स्लॉप की प्रत्येक यूनिट की अधिशेष सामग्री (प्रत्येक को पृथक् रूप से दिया जाना है)

अंतिम उत्पाद	उत्पादन
उत्पाद क	प्रतिशत
उत्पाद ख	प्रतिशत
—	प्रतिशत
—	प्रतिशत
छीजन	प्रतिशत
योग	100 प्रतिशत

घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और इस आवेदन के साथ संलग्न उपाबंध के रूप में जानकारी तथा विवरण ठीक, पूर्ण और सत्य है और यदि इसमें दिया गया कोई विवरण गलत पाया जाता है तो मैं विधि के उपबंधों के अधीन कार्रवाई के लिए दायी हूंगा।

तारीख हस्ताक्षर :

स्थान नाम :

वह फारमेट जिसमें राज्य सरकारों/जिला मजिस्ट्रेटों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/भारत सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी

[खंड 3(1) देखिए]

1. व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता/उपभोक्ता/अन्य का नाम (जो लागू न हो उसे काट दें)

   ....

   ....

2. फर्म का प्रकार (जो लागू न हो उसे काट दें)

   पब्लिक लिमिटेड कंपनी/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/भागीदारी फर्म/स्वात्वधारी फर्म

3. पता

3क. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ....

....

3ख. भंडारण स्थल ....

....

4. निदेशकों/भागीदारों/स्वत्वधारियों के नाम, पते और टेलीफोन नम्बर

क्रम सं.	नाम	कार्यालय		निवास	
		पता	टेलीफोन	पता	टेलीफोन

5. उद्योग रजिस्ट्रीकरण/अनुज्ञप्ति के ब्यौरे

रजिस्ट्रीकरण/अनुज्ञप्ति संख्या	जारी करने की तारीख	निम्नलिखित तक विधिमान्य	जारी करने वाला प्राधिकारी

6. विक्रय-कर रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे

6क. राज्य विक्रय-कर

रजिस्ट्रीकरण संख्या	जारी करने की तारीख	निम्नलिखित तक विधिमान्य	जारी करने वाला प्राधिकारी

6ख. केन्द्रीय विक्रय-कर

रजिस्ट्रीकरण संख्या	जारी करने की तारीख	निम्नलिखित तक विधिमान्य	जारी करने वाला प्राधिकारी

7. विस्फोटकों की अनुज्ञप्ति के ब्यौरे

अनुज्ञप्ति संख्या	जारी करने की तारीख	निम्नलिखित तक विधिमान्य	अनुज्ञप्त भंडारण क्षमता (किलोलीटर में)

8. भंडारण के ब्यौरे

अवस्थान	विलायक/रेफिनेट/स्लॉप	टैंक संख्या	क्षमता (किलोलीटर में)

9. ऐसे विलायक/रेफिनेट/स्लॉप का, जिसके लिए अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है, प्रयोग करके अन्त करना।

1. ....
2. ....
3. ....

... .

... .

... .

10. अनुज्ञप्ति की अन्य शर्तें

....

....

....

11. विलायक/रेफिनेट/स्लॉप की अनुज्ञप्ति के ब्यौरे

अनुज्ञप्ति संख्यांक	जारी करने की तारीख	निम्नलिखित तक विधिमान्य (*)	विलायक/रेफिनेट/स्लॉप	प्रति वर्ष अनुज्ञप्त परिमाण

(*) अनुज्ञप्ति एक वर्ष की अवधि के लिए जारी की जाएगी और तत्पश्चात् इसे प्रत्येक अवसर पर दो वर्ष के लिए नवीकृत किया जाएगा।

तारीख ....

स्थान ....

हस्ताक्षर : ....

नाम : ....

पदनाम : ....

मुद्रा : ....

[फा.सं. पी. 11013/4/98-वि.

शिव राज सिंह, संयुक्त सचि

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र में संख्या सा.का.नि. 519(अ), तारीख 5 जून, 2000 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 30th June, 2000

G.S.R. 578(E).—In pursuance of sub-clauses (1) and (5) of clause 3 of the Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition, Sale Storage and Prevention of Use in Automobiles) Order, 2000, the Central Government hereby notifies the Form in which application for issue of Solvent, Raffinate and Slop licence shall be made under the said Order, and the Format in which the licence shall be issues by the State Government or the District Magistrate or the officer authorised by the Central or the State Government, namely :-

APPLICATION FORM

(For issue of licence for Solvent, Raffinate and Slop under sub-clause (1) of clause 3 of the Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of Use in Automobiles) Order, 2000)

To,

The State Government or the District Magistrate or the officer authorised by the Central or the State Government.

1. Name of the applicant [ ]

2. Type of firm *(strike out whichever is not applicable)*

2a. Public Limited Company/Private Limited Company/Partnership firm/Proprietorship firm/Others

2b. Trader / Processor / Manufacturer / Consumer / Others

3. Addresses

3.a Registered office [ ]

3.b Storage point (s) [ ]

[ ]

4. Names, addresses, telephone numbers of Directors / Partners / Proprietor(s)

Serial Number	Name	Office		Residence	
		Address	Telephone	Address	Telephone

5. Industry Registration/Licence Details

Registeration / Licence Number	Date of Issue	Valid up to	Issuing Authority

6. Sales Tax Registration Details

6a. State Sales Tax

Registeration Number	Date of Issue	Valid up to	Issuing Authority

6b. Central Sales Tax

Registeration Number	Date of Issue	Valid up to	Issuing Authority

7. Explosives Licence Details

Licence Number	Date of Issue	Valid up to*	Storage capacity Licenced (in kilolitres)

8. Details of Storage

Location	Solvent / Raffinate / Slop	Tank Number	Capacity (in kilolitres)

9. Use of Solvent / Raffinate / Slop for which the licence is required

1 ______________________

2 ______________________

3 ______________________

.... ______________________

.... ______________________

10a. Quantities of Solent / Raffinate / Slop for which Licence is applied for

Solvent / Raffinate / Slop	Quantity in kilolitres

10b. Material balance for which Solvent / Raffinate / Slop is / are required

I. Process ______________ (attach details) ______________

____

II. Material balance of each unit of Solvent / Raffinate / Slop consumed
(to be given for each separately)

End Products	Production
Product A	.......%
Product B	.......%
......	.......%
......	.......%
Wastage.	.......%
Total	100%

DECLARATION

Certified that the above information is true to the best of my knowledge and belief and the information as annexures and statements accompanying this application are correct, complete and truly stated, and if any statement made herein is found to be incorrect, I shall be liable for action under the provisions of law.

Date ________ Signature : ____________

Place Name : ____________

FORMAT IN WHICH THE LICENCE SHALL BE ISSUED BY THE STATE GOVERNMENTS / THE DISTRICT MAGISTRATES / UNION TERRITORY ADMINISTRATIONS / GOVERNMENT OF INDIA

(see clause 3(1))

1. Name of Trader / Processor / Manufacturer / Consumer / Others
(strike out whichever is not applicable)

2. Type of firm *(strike out whichever is not applicable)*
Public Limited Company / Private Limited Company / Partnership firm / Proprietorship firm

3. Addresses

3.a Registered office

3.b Storage point (s)

4. Names, addresses, telephone numbers of Directors / Partners / Proprietor (s)

S.No.	Name	Office		Residence	
		Address	Telephone	Address	Telephone

5. Industry Registration/Licence Details

Registeration / Licence Number	Date of Issue	Valid up to	Issuing Authority

6. Sales Tax Registration Details

6a. State Sales Tax

Registeration Number	Date of Issue	Valid up to	Issuing Authority

6b. Central Sales Tax

Registeration Number	Date of Issue	Valid up to	Issuing Authority

7. Explosives Licence Details

Licence Number	Date of Issue	Valid up to	Storage capacity Licenced (in kilolitres)

8. Details of Storage

Location	Solvent / Raffinate / Slop	Tank Number	Capacity (in kilolitres)

9. End use of Solvent / Reffinates / Slop for which the licence is granted

1 ____________________

2 ____________________

3 ____________________

.... ____________________

.... ____________________

.... ____________________

10. Other conditions of the Licence

____

____

____

11. Details of Solvent / Raffinate / Slop Licence

Licence Number	Date of Issue	Valid up to (*)	Solvent / Raffinate / Slop	Licenced Quantity per year (in kilolitres)

(*) Licence shall be issued for a period of one year and thereafter shall be renewed for two years on each occassion

Date ________

Place ________

Signature : __________

Name : __________

Designation : __________

Seal : __________

[F. No. P-11013/4/98-Dist.]

SHIV RAJ SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India vide number G.S.R. 519(E), dated, the 5th June, 2000.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 317] नई दिल्ली, सोमवार, जून 5, 2000/ज्येष्ठ 15, 1922

No. 317] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 5, 2000/JYAISTHA 15, 1922

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 जून, 2000

सा. का. नि. 518(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केंद्रीय अधिनियम 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ : (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम नाफ्था (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2 परिभाषाएं : इस आदेश में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "आटोमोबाइल" से ऐसा कोई यान अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति द्वारा सड़क परिवहन प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत है और जहां ऐसे आटोमोबाइल में प्रयोग के लिए प्रमाणित ईंधन मोटर स्पीरिट, उच्च गति डीजल, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस या संपीडित प्राकृतिक गैस है ;

(ख) "सरकारी तेल कंपनी" से ऐसी तेल परिष्करण कंपनी या तेल विपणन कंपनी अभिप्रेत है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित एक सरकारी कंपनी भी है ;

(ग) "उच्च गति डीजल" से कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन तेल (जिसमें खनिज कोल्जा तेल और तारपीन प्रतिस्थापक सम्मिलित नहीं हैं) अभिप्रेत है, जो भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश सं. आई एस-1460 की अपेक्षाओं को पूरा करता है और जो संपीडन प्रज्वलन इंजन में ईंधन के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है ;

(घ) "मोटर स्पीरिट" से ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन तेल (जिसमें अपरिष्कृत खनिज तेल सम्मिलित नहीं है) अभिप्रेत है, जो भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश सं. आई एस-2796 की अपेक्षाओं को पूरा करता है और स्फुलिंग प्रज्वलन इंजन में ईंधन के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है ;

(ङ) "नाफ्था" एक हल्का हाइड्रोकार्बन द्रव है, जिसमें ए एस टी एम डी-86 आसवन विधि द्वारा 130 डिग्री सेंटीग्रेड या कम की 90 प्रतिशत वोल्यूम आसवन है ;

(च) "तेल कंपनी" से केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई ऐसा व्यक्ति, फर्म या कंपनी अभिप्रेत है जो उपभोक्ताओं या डीलरों को मोटर स्पीरिट या उच्च गति डीजल के विक्रय में लगी हुई है ;

3. नाफ्था के विक्रय या प्रयोग पर निर्बन्धन

(i) कोई व्यक्ति, राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट या केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी अनुज्ञप्ति [illegible] नाफ्था का अर्जन, भंडारण और / या विक्रय नहीं करेगा ।

(ii) कोई व्यक्ति, मोटर स्पीरिट [illegible] अनुज्ञात किसी अन्य ईंधन को छोड़कर किसी आटोमोबाइल में नाफ्था का प्रयोग नहीं करेगा और न ही किसी रीति में नाफ्था के प्रयोग में सहायता करेगा ।

(iii) कोई व्यक्ति, मोटर स्पीरिट [illegible] नहीं करेगा और न ही किसी रीति में अपमिश्रण में सहायता करेगा ।

(iv) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो [illegible] आयातित हो अथवा स्वदेशी, विक्रय या व्यापार में लगा है, ऐसे [illegible] उसके समाप्त करने का प्रमाणपत्र फाइल करेगा और [illegible] मजिस्ट्रेट या राज्य सिविल आपूर्ति प्राधिकरणों को, चाहे उनका कोई भी नाम हो, उपभोक्ता-वार [illegible] करेगा ।

(v) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी पेट्रो-रसायन के विनिर्माण या किसी अन्य प्रयोजन के लिए नाफ्था को, चाहे वह आयातित हो अथवा स्वदेशी, वास्तविक उपयोग में लगा है, [illegible] आधार पर जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सिविल आपूर्ति प्राधिकरणों को, चाहे उनका कोई भी नाम हो, उपयोग करके समाप्त करने का प्रमाणपत्र फाइल करेगा ।

4. तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति

(1) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी, या सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई पुलिस अधिकारी, जो पुलिस के उप अधीक्षक से नीचे की रैंक का न हो, या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत सरकारी तेल कंपनी या तेल कंपनी का कोई ऐसा अधिकारी, जो विक्रय अधिकारी से नीचे की रैंक का न हो, इस आदेश के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के विचार से या स्वयं का यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि इस आदेश का या इसके अधीन किए गए किसी आदेश का अनुपालन किया जा रहा है,—

(क) किसी ऐसे स्थान या परिसर में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा, जो किसी ऐसे डीलर, परिवहनकर्ता, उपभोक्ता या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति के, जो ऐसे डीलर / परिवहनकर्ता / उपभोक्ता का कर्मचारी या अभिकर्ता है, जिसकी बाबत यह विश्वास करने के कारण हैं कि उसके द्वारा इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है / किया जा रहा है या किया जाने वाला है, कारबार में प्रयोग किया जा रहा है या प्रयोग किए जाने की आशंका है ।

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो इस आदेश के उल्लंघन में उत्पाद का उपयोग या उसे प्राप्त कर रहा है या ऐसे यान या पात्र को, जो उत्पाद को इधर-उधर करने के लिए उपयोग किया गया है या उपयोग करने के लिए आशयित है, रोक सकेगा और तलाशी ले सकेगा ।

(ग) किसी ऐसी लेखा पुस्तक या अन्य दस्तावेज या उत्पाद के स्टाक की जांच कर सकेगा, जिसे डीलर, परिवहनकर्ता, उपभोक्ता या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के, जिसके डीलर, परिवहनकर्ता या उपभोक्ता का कर्मचारी या अभिकर्ता होने की आशंका है, कारबार में उपयोग किया गया है या उपयोग किए जाने की आशंका है ।

(घ) उत्पाद के नमूने ले सकेगा और / या ऐसे उत्पाद के स्टाकों का अभिग्रहण कर सकेगा, जिसके लिए अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश के उल्लंघन में उसका उपयोग किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है और इसके पश्चात् इस प्रकार अभिग्रहीत स्टाकों / मदों को, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के उपबंधों के अधीन अधिकारिता रखने वाले कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने और ऐसे प्रस्तुत किए जाने के लंबित रहने के दौरान उनकी सुरक्षित अभिरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर सकेगा या ऐसे उपाय करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) खंड 1(घ) के अधीन अभिग्रहण की शक्ति का प्रयोग करते समय प्राधिकृत अधिकारी, ऐसा करने के कारणों को लिखित में अभिलिखित करेगा, जिसकी एक प्रति डीलर, परिवहनकर्ता, उपभोक्ता या संबद्ध व्यक्ति को दी जाएगी ।

(3) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 के उपबंध जहां तक हो सके, इस आदेश के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे ।

5. उत्पाद के नमूने लेना :

(1) खंड 4 में प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, टैंक, पोजल, यान या पात्र से, यह जांच करने के लिए नमूने ले सकेगा कि क्या इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है ।

(2) खंड 4 में प्राधिकृत अधिकारी, उत्पाद के 750 मि.ली. से 1 लीटर तक के तीन नमूने लेकर हस्ताक्षरित और सीलबंद करेगा, जिसमें से एक संबद्ध व्यक्ति को अभिस्वीकृति के अधीन इस अनुदेश के साथ दिया जाएगा कि वह नमूने को तब तक अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में परिरक्षित करे जब तक परीक्षण / अन्वेषण पूरा न हो जाए, दूसरा नमूना संबद्ध तेल कंपनी या विभाग द्वारा रखा जाएगा और तीसरा प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाएगा ।

(3) नमूना कांच या एल्यूमिनियम के साफ आधानों में लिया जाएगा । नमूने लेने के लिए प्लास्टिक के आधानों का प्रयोग नहीं किया जाएगा ।

(4) नमूने का लेबल नमूने लेने वाले अधिकारी और संबद्ध व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा और लेबल पर उत्पाद, अभिग्रहण का स्थान, नमूने की मात्रा, आंकड़े, संबद्ध व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर के संबंध में जानकारी होगी ।

(5) प्राधिकृत अधिकारी, उपखंड (2) के अधीन लिए गए तीसरे नमूने को तुरंत या किसी भी दशा में 10 दिन के भीतर, उत्पाद की जांच के लिए, नमूनों के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, मोटर स्पीरिट और उच्च गति डीजल (आपूर्ति और वितरण का विनियमन और अनाचार का निवारण) आदेश, 1998 की अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट प्रयोगशालाओं में से किसी को भेजेगा ।

6. केंद्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति :

केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार, समय-समय पर, किसी व्यक्ति को, साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे निदेश दे सकेगी, जिसे वह उत्पाद के भंडारण, विक्रय परिवहन और निपटान तथा उत्पाद के उपयोग के संबंध में आवश्यक समझे और ऐसे निदेश देने पर, ऐसा व्यक्ति उनके अनुपालन के लिए आबद्ध होगा ।

7. आदेश के उपबंधों का राज्य सरकार, आदि के पूर्व आदेशों पर अभिभावी होना :

इस आदेश के उपबंध, किसी राज्य सरकार या ऐसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा, इस आदेश के प्रारंभ से पूर्व किए गए किसी आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे, सिवाय उन बातों के, जिन्हें उसके अधीन ऐसे प्रारंभ से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है ।

[फा. सं. पी. 11013/1/2000-डी.आई.एस.टी]

नरेश नारद, अपर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

ORDER

New Delhi, the 5th June, 2000

G.S.R. 518(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (Central Act 10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order, namely: -

1. Short title, extent and commencement: (1) This order may be called 'The Naphtha (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of use in Automobile) Order, 2000.

a) It extends to the whole of India.

b) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions : In this order, unless the context otherwise requires ; -

(a) **"Automobile"** means any vehicle registered with Road Transport Authority by any person where fuel certified for use in such automobile is Motor Spirit, High Speed Diesel, Liquified Petroleum Gas or Compressed Natural Gas.

(b) **"Government oil company"** means an oil refining company or oil marketing company which is also a government company as defined in Section 617 of Companies Act, 1956;

(c) **"High Speed Diesel"** means any hydrocarbon oil (excluding mineral colza oil and turpentine substitute) which meets the requirements of Bureau of Indian Standards specification No.IS-1460 and is suitable for use as fuel in Compression Ignition Engines;

(d) **"Motor Spirit"** means any hydrocarbon oil (excluding crude mineral oil) which meets the requirements of Bureau of Indian Standards specification No.IS-2796 and is suitable for use as fuel in Spark Ignition Engines;

(e) **"Naphtha"** is a light hydrocarbon liquid with 90% volume distillation, by ASTM D-86 distillation method, of 190 degrees Centigrade or less.

(f) **"Oil Company"** means any person, firm or company authorised by the Central Government who is engaged in the sale of Motor Spirit or High Speed Diesel to consumers or dealers .

3. <u>**Restriction on sale and use of Naphtha.**</u>

(i) No person shall either acquire, store and/or sell Naphtha, without a licence, issued by the State Government or District Magistrate or any other Officer authorised by the Central or State Governments.

(ii) No person shall either use or help in any manner the use of Naphtha except Motor Spirit, High Speed Diesel and/or any other fuel permitted by the Central Government, in any automobile.

(iii) No person shall either adulterate or help in any manner adulterating of Motor Spirit and High Speed Diesel with Naphtha.

(iv) Every person whosoever is engaged in sale or trading of Naphtha either imported or indigenous, for any purpose, whatsoever, shall file end-use certificates from consumers to whom he sells and also furnish customer-wise sales to the District Magistrate or the State Civil Supplies Authorities by whatever name called, on a quarterly basis.

(v) Every person whosoever is engaged in actual use of Naphtha either imported or indigenous for manufacture of any petrochemicals or any other purpose shall file end-use certificates to the District Magistrate or the State Civil Supplies Authorities by whatever name called, on a quarterly basis.

4. **Power of Search and Seizure : -**

(1) Any Gazetted Officer of the Central or State Government or any Police Officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police duly authorised, by general or special order by the Government or any officers of a Government Oil Company or any other Oil Company authorised by Central Government, not below the rank of Sales Officer may, with a view to securing compliance with the provisions of this Order, or for the purpose of satisfying himself that this order or any order made thereunder has been complied with, -

(a) Enter and search any place or premises being made use of or suspected to be made use of in the business of the dealer, transporter, consumer or any

other person who is an employee or agent of such dealer/transporter/consumer with respect to which there is reason to believe that the provisions of this order have been/are being or are about to be contravened.

(b) Stop and search any person or vehicle or receptacle used or intended to be used for the movement of the product or using or receiving the product in contravention of this order.

(c) Inspect any book of accounts or other document or any stock of the product used or suspected to be used in the business of the dealer, transporter, consumer or any other person suspected to be an employee or agent of the dealer, transporter or consumer.

(d) Take samples of the product and/or seize any of the stocks of the product which the officer has reason to believe has been or is being or is about to be used in contravention of this order and hereafter take or authorise the taking of all measures necessary for securing the production of stocks/items so seized before the Collector having jurisdiction under the provisions of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and for their safe custody pending such production.

(2) While exercising the power of seizure provided under clause 1(d) the authorised officer shall record in writing the reasons for doing so, a copy of which shall be given to the dealer, transporter, consumer or any other concerned person.

(3) The provisions of Section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), relating to search and seizure shall, as far as may be, apply to searches and seizures under this Order.

5. **Sampling of Product :-**

(1) The Officer authorised in Clause 4 shall draw the sample from the tank, nozzle, vehicle or receptacle as the case may be to check whether the provisions of this Order are being or likely to be contravened.

(2) The Officer authorised in Clause 4 shall take, sign and seal three samples of 750 ml. to 1 litre each of the product, one to be given to the concerned person under acknowledgement with instructions to preserve the sample in his safe custody till the testing/investigations are completed, the second sample to be kept by the concerned oil company or department and the third to be used for laboratory analysis.

(3) Samples shall be taken in clean glass or aluminium containers. Plastic containers shall not be used for drawing samples.

(4) The sample label should be jointly signed by the officer who has drawn the sample, and the concerned person or his representative and the label shall contain information as regards the product, place of seizure, quantity of sample, data, name and signature of the concerned person or his representative.

(5) The authorised officer shall send the third sample of the product taken under sub-clause (2), immediately or in any case within a period of 10 days, to any of the laboratories specified in Schedule III of the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply and Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 1998 for the purpose of analysis of samples to check the product.

6. **Power of Central Government to issue directions :-**

The Central Government or a State Government with the approval of the Central Government may, from time to time, by a general or special order issue to any person such directions as it considers necessary regarding storage, sale, transportation and disposal and use of product and upon the issue of such directions, such person shall be bound to comply therewith.

7. **Provision of the order to prevail over previous orders of State Government, etc.**

The provisions of this Order shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any order may be a State Government or by an officer of such state Government before the commencement of this order except as respects anything done, or omitted to be done thereunder before such commencement.

[F. No. P. 11013/1/2000-Dist.]
NARESH NARAD, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.